<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

<u>01.10.2025</u>

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), गुरुग्राम आंचलिक कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 10.55 करोड़ रुपये मूल्य की गुरुग्राम (हरियाणा), ग्रेटर नोएडा (यूपी) और लुधियाना (पंजाब) में स्थित 06 अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है, जो आरोपी कंपनी- मेसर्स अंसल प्रॉपर्टीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (एपीआईएल) के निदेशकों/शेयरधारकों/लाभार्थी मालिकों - सुशील अंसल, प्रणव अंसल एंड सन एचयूएफ और श्रीमती कुसुम अंसल - के पास हैं। यह कार्रवाई जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के प्रावधानों के उल्लंघन से उपजे धन शोधन के मामले में की गई है। कुर्क की गई संपत्तियों में वाणिज्यिक इकाइयां और स्थान शामिल हैं।

ईडी ने हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एचएसपीसीबी) द्वारा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 43 और वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 37 के तहत अनुसूचित अपराधों के लिए दायर अभियोजन शिकायतों के आधार पर जांच शुरू की, जिसमें एपीआईएल द्वारा अपने दो गुरुग्राम स्थित रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स- 'सुशांत लोक-I' और 'एसेंसिया' में पर्यावरण मानदंडों का पालन न करना शामिल है।

ईडी की जाँच से पता चला कि एपीआईएल ने अपनी परियोजना 'सुशांत लोक फेज़-I' में कोई सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) नहीं लगाया था और उत्पन्न अपशिष्ट को हुडा सीवरेज लाइन से होकर गुजारा गया, जबकि उसकी दूसरी परियोजना 'एसेंसिया' में स्थापित एसटीपी अपर्याप्त क्षमता का था। एचएसपीसीबी अधिकारियों के निरीक्षण के दौरान, स्थापित एसटीपी भी बिना किसी संचालन और रखरखाव के परित्यक्त पाए गए।

ईडी की जाँच में यह भी पता चला कि घरेलू अपशिष्ट/अनुपचारित सीवेज जल का मानकों के अनुसार उपचार न करके, एपीआईएल ने एक ओर जन स्वास्थ्य और पर्यावरण को नुकसान पहुँचाया, वहीं दूसरी ओर उससे होने वाले लाभ का फायदा भी उठाता रहा। कंपनी के प्रवर्तकों ने अपशिष्ट का उपचार करने या एचएसपीसीबी के मानदंडों के अनुसार कोई उपाय करने की ज़हमत नहीं उठाई और इस प्रकार, 10.55 करोड़ रुपये का अनुचित लाभ कमाया, जो कि उक्त आपराधिक गतिविधि से अर्जित अपराध का आगम ही है।

आगे की जाँच जारी है।